

[2023] 2 एस. सी. आर. 72

देबीदुत्ता मोहंती

बनाम्

रंजन कुमार पटनायक और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4939/2022)

मार्च 03,2023

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, न्यायाधीशगण]

उड़ीसा लघु खनिज रियायत नियम, 2016 -नियम 51 (7)-उड़ीसा लघु खनिज रियायत नियमों के अनुसार पट्टा देने के लिए नीलामी की जानी थी-नीलामी सूचना की एक आवश्यकता यह थी कि बोलीदाता को राजस्व अधिकारी द्वारा जारी शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था-प्रतिवादी संख्या-1 ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और तहसीलदार द्वारा जारी शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया-उप-समाहर्ता द्वारा पारित विशिष्ट आदेश के बावजूद शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 'न्यास' के नाम पर शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाना था-हालाँकि, तहसीलदार ने व्यक्तिगत रूप से शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र प्रत्यर्थी नं. 1 के पक्ष में जारी किया । समाहर्ता नेप्रत्यर्थी नं. 1 के पक्ष में पट्टा रद्द कर दिया-उच्च न्यायालय ने समाहर्ता द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में पट्टा विलेख को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी सं1 ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी नं. 1 के पक्ष में जारी शोधन क्षमता प्रमाण पत्र 1 एक गलती थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:वर्तमान मामले में उप-समाहर्ता ने विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का निर्देश-इसमें उनकी व्यक्तिगत क्षमता में और विशेष रूप से ट्रस्ट के नाम पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है-

इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी सं 1 के पक्ष मेंगलती से अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जारी किया गया-ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 जानबूझकर और इच्छापूर्वक अपने नाम से शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त किया, हालांकि संपत्ति न्यास की थी और शोधन क्षमता प्रमाण पत्र न्यास के नाम से जारी किया जाना आवश्यक था-उसने शोधन क्षमता प्रमाण पत्र का दुरुपयोग/अवैध रूप से अपने लाभ के लिए उपयोग किया-प्रत्यर्थी सं.के अपने नाम पर शुरू से ही गैर-स्थायी और शून्य था-उनके पक्ष में पट्टे को सही ढंग से रद्द कर दिया गया था-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित किया: 1. जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष है कि पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए कलेक्टर द्वारा 24.03.2021 दिनांकित आदेश कानून के तहत प्राधिकरण के बिना था क्योंकि नियम 2016 के नियम 51 (7) के तहत पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार का संबंध होगा, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पट्टा विलेख की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में नियम 51 (7) लागू होगा। वर्तमान मामला पट्टा विलेख की किसी भी शर्त के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि बोली जमा करने के समय अमान्य शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का मामला है। इसलिए, नियम 51 (7) वर्तमान मामले के सभी तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वास्तव में समाहर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दिनांकित 24.03.2021 आदेश पारित किया, जिसमें समाहर्ता को अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन/(ओं) पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए समाहर्ता द्वारा पारित दिनांक 24.03.2021 का आदेश कानून के तहत प्राधिकरण के बिना था। [पैरा 7.1, 7.2] [80-ई-जी]

2. वर्तमान मामले में उप-कलेक्टर, अथागढ़ द्वारा विशेष रूप से प्रत्यर्थी नं. 1 इसमें अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और विशेष रूप से ट्रस्ट के नाम पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल शोधन प्रमाणपत्र दिनांक 07.12.2017 प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष मेंगलती से अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जारी किया गया।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नं 1 जानबूझकर और इच्छापूर्वक अपने नाम से शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त किया, हालांकि संपत्ति न्यास की थी और शोधन क्षमता प्रमाण पत्र न्यास के नाम से जारी किया जाना आवश्यक था। उन्होंने अवैध रूप से अपने लाभ के लिए दिनांकित 07.12.2017 शोधन योग्यता प्रमाण पत्र का दुरुपयोग/उपयोग किया और अपनी बोली के साथ उसी को प्रस्तुत किया और उक्त शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें पट्टा बोली मिली। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दिनांकित 07.12.2017 ऋण शोधन योग्यता प्रमाणपत्र का उपयोग करके बोली। शुरुआत से ही गैर-स्थायी और अमान्य था और इसलिए, इस तरह के शोधन प्रमाणपत्र के आधार पर उनके पक्ष में पट्टे को कलेक्टर द्वारा उचित रूप से रद्द कर दिया गया था। [कंडिका 8] [81-डी-एफ]

2021 के रिट याचिका दीवानी अपीलीय न्यायाधिकार क्षेत्र: दीवानी अपीलीय संख्या 4939/2022 (सी) संख्या 16437 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.10.2021 के निर्णय और आदेश से।

बसंत आर., सीनियर एड., अरुणव पटनायक, धनंजय रे, सुश्री भाबना दास, अक्षय सहाय,अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अशोक पाणिग्रही, सुश्री गीतांजलि दास कृष्णन, नवाब सिंह, साल्वाडोर संतोष रेबेलो, आरजू पॉल, सुश्री दीप्ति आर्य, आदिराज बाली, सुश्री वर्णाली मिश्रा, सुश्री अनिदिता पुजारी, अधिवक्ता,उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह., न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

1. 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 16437 में कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 1 इसमें और कलेक्टर, कटक द्वारा दिनांकित 24.03.2021 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है जिसके द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा रद्द कर दिया गया था और परिणामस्वरूप मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा को पुनर्जीवित कर दिया गया है, मूल प्रतिवादी नं 5 उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 कि प्रश्नगत पट्टे के अनुदान के लिए एक नीलामी सूचना 08.01.2018 पर प्रकाशित की गई थी। नीलामी सूचना के खंड 5 में कहा गया है कि बोलीदाता को राजस्व अधिकारी से एक शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए जो राशि रॉयल्टी और स्रोत के लिए निर्धारित अतिरिक्त शुल्क से कम नहीं होनी चाहिए। बोलीदाता को चल संपत्तियों का विवरण भी जमा करना था। नीलामी सूचना में उड़ीसा लघु खनिज रियायत नियम, 2016 (इसके बाद 'ओ. एम. एम. सी. नियम, 2016' के रूप में संदर्भित) का उल्लेख किया गया है। प्रत्यर्थी नं.1-मूल रिट याचिकाकर्ता ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और तहसीलदार, नरसिंहपुर द्वारा जारी एक ऋण शोधन प्रमाणपत्र दिनांक 07.12.2017 के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उप-कलेक्टर, अथागढ़ द्वारा 06.12.2017 को उपरोक्त आदेश पारित किए जाने के बावजूद उपरोक्त शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उप-कलेक्टर, अथागढ़ द्वारा 06.12.2017 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि एक शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र "गुरुकृपा चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम केंद्रपाली के अध्यक्ष" के पक्ष में जारी किया जाए। हालांकि, तहसीलदार ने मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी किया, जो संबंधित समय पर न्यास के अध्यक्ष थे। उक्त शोधन प्रमाणपत्र मूल रिट याचिकाकर्ता की बोली के साथ संलग्न था।

2.2 जब बोलियां खोली गईं, तो सबसे अधिक बोली एक सुकांति साहू की थी, मूल रिट याचिकाकर्ता दूसरा सबसे अधिक बोली लगाने वाला था और इसमें अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी संख्या 5-देबिदत्ता मोहंती तीसरी सबसे बड़ी बोली लगाने वाली थीं। पहली सबसे बड़ी बोली लगाने वाली सुकांति साहू की बोली रद्द कर दी गई क्योंकि वह एक चूककर्ता पाई गई थी। चूंकि मूल रिट याचिकाकर्ता दूसरा सबसे बड़ा बोलीदाता था, इसलिए उसे दिनांक 08.05.2019 एक पत्र जारी किया गया था जिसमें उससे Rs.142 प्रति घन मीटर पर रेत सैरात को संचालित करने की अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहा गया था, जो उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर थी। उसी तारीख को, मूल रिट याचिकाकर्ता ने अपनी इच्छा प्रस्तुत की। फिर उन्हें एक पट्टा विलेख निष्पादित करने के लिए कहा गया। मूल रिट याचिकाकर्ता ने तब Rs.26,28,450/- जमा किया और आवश्यकताओं का पालन किया। उस सुकांति साहू ने अपनी बोली को रद्द करने और मूल रिट याचिकाकर्ता के चयन पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 की रिट याचिका (सी) No.9023 दायर की। शुरू में उच्च न्यायालय ने यथास्थिति का आदेश दिया जो बाद में खाली हो गया। इसके बाद वर्तमान मूल रिट याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी तहसीलदार, सदर को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में 2019 की रिट याचिका (सी) No.22660 दायर की। इसके बाद 01.01.2020 को, उनके पक्ष में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया। इसके बाद सुकांति साहू द्वारा वर्तमान मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टे के अनुदान के खिलाफ एक दूसरी रिट याचिका दायर की गई, जो 2020 की रिट याचिका (सी) सं. 951 है। प्रारंभ में उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख के संचालन पर रोक लगा दी। हालांकि, इसके बाद यह स्पष्ट करते हुए रोक हटा दी गई कि पट्टे का संचालन लंबित रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

2.3 कि इसके बाद अपीलार्थी देबिदत्ता मोहंती ने उच्च न्यायालय में 2021 की रिट याचिका (सी) सं. 3326 दायर की जिसमें प्रत्यर्थी सं. 1, इसमें-मूल रिट

याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किए गए शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र पर प्रश्न उठाए गए।। उक्त याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2021 के आदेश के माध्यम से कलेक्टर, कटक को उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश देते हुए किया गया। जब मामला कलेक्टर के पास लंबित था, तब अपीलार्थी ने 2021 की रिट याचिका (सी) No.14241 दायर की, जिसका निपटान 19.04.2021 को किया गया। उक्त आदेश में, यह नोट किया गया था कि 08.03.2021 को, तहसीलदार, नरसिंहपुर ने प्रतिवादी नं. 1 द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया था और उक्त आदेश रद्द करने के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। कलेक्टर को एक निर्देश जारी किया गया था कि वह मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किए गए शोधन प्रमाणपत्र पर सवाल उठाने वाले अपीलार्थी के अभ्यावेदन का भी 12.05.2021 के बाद निपटान करे। इस बीच, प्रत्यर्थी नं 1 को सैरात संचालित करने की अनुमति दी गई और फिर तहसीलदार के कहने पर इसे रोक दिया गया। 02.03.2021 को तहसीलदार, नरसिंहपुर द्वारा उप-कलेक्टर, अथागढ़ को एक पत्र लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी नं 1 इसमें-मूल रिट याचिकाकर्ता गुरुकृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने नाम से शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन चूंकि वे गुरुकृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, इसलिए न्यास के नाम से जारी किया जाने वाला शोधन क्षमता प्रमाण पत्र उनके नाम से जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि पक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है और उक्त प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4 इसके बाद, तहसीलदार द्वारा 08.03.2021 को कलेक्टर, कटक को एक और पत्र भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में जारी किया गया पहले का शोधन प्रमाणपत्र इसमें रद्द कर दिया गया और "गुरुकृपा चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम केंडुपाली के अध्यक्ष" के पक्ष में एक और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया।

2.5 इस बीच, 29.01.2021 को, मूल उत्तरदाता नं.1 इसमें-मूल रिट याचिकाकर्ता ने तहसीलदार, सदर कटक को अपनी बोली के साथ दिए गए शोधन क्षमता प्रमाण पत्र को रुपये 4.6 करोड़ रुपये के मूल्य में दूसरे के साथ बदलने के लिए लिखा जो 27.01.2021 पर जारी किए गए थे कि इसके बाद अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, कलेक्टर ने प्रतिवादी नं.1-इसमें मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा को रद्द कर दिया, यह देखते हुए और यह निष्कर्ष निकालते हुए कि "ग्राम केंद्रपाली के गुरुकृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष" के पक्ष में जारी किया जाने वाला शोधन प्रमाणपत्र प्रत्यर्थी सं.1 के नाम से जारी किया गया और इसलिए, ऋण शोधन प्रमाणपत्र कानून के निर्धारित प्रावधानों का पालन करते हुए जारी नहीं किया गया था और इसलिए, प्रत्यर्थी सं-1 इसमें मूल याचिकाकर्ता द्वारा प्रयुक्त सैराट की नीलामी अवैध है। कलेक्टर द्वारा दिनांक 24.03.2021 को पारित आदेश प्रत्यर्थी नं. 1 के कहने पर उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका का विषय था।

2.6 उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रतिवादी नं.-1 इसमें-मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से मामला था कि ओ. एम. एम. सी. नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत लघु खनिजों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार हैं और इसलिए, पट्टा विलेख को कलेक्टर द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता था। यह मूल रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी सं.-1 की ओर से यह भी मामला था जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने नाम पर शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने के दोष को ठीक किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह सच है कि पहले शोधन क्षमता प्रमाण पत्र उस न्यास के नाम से जारी किया जाना चाहिए था जिसके वे अध्यक्ष थे, हालाँकि, 29.01.2021 को ही उन्होंने तहसीलदार को लिखा था कि प्रस्तुत शोधन क्षमता प्रमाण पत्र को अपने नाम से जारी किए गए दूसरे के साथ बोली के साथ प्रतिस्थापित किया जाए और इसलिए, उक्त दोष भी ठीक हो गया। यह प्रस्तुत किया गया कि इस पर ध्यान दिए बिना, कलेक्टर ने पट्टा रद्द कर दिया था।

2.7 रिट याचिका का राज्य के साथ-साथ अपीलार्थी यहाँ पर मूल प्रत्यर्थी सं.-5 द्वारा विरोध किया गया था। अपीलार्थी की ओर से यहाँ प्रस्तुत किया गया था

कि प्रत्यर्थी सं.-1, इसमें मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली शुरु से ही अमान्य था और इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इसके साथ मूल रिट याचिकाकर्ता के नाम का एक वैध शोधन प्रमाणपत्र नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया था कि जो दस्तावेज शोधन प्रमाणपत्र के रूप में संलग्न किया गया था, वह वास्तव में सही ढंग से जारी नहीं किया गया था और उप-कलेक्टर के स्पष्ट आदेश के विपरीत था। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि पहले सबसे अधिक बोली लगाने वाले सुकांति साहू की बोली पहले रद्द कर दी गई थी और मूल रिट याचिकाकर्ता दूसरा सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति था, जिसका पट्टा कलेक्टर द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया है, तीसरे सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति होने के नाते पट्टा उनके पक्ष में दिया जाना चाहिए था।

2.8 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा और यह राय देते हुए कि प्रारंभिक शोधन क्षमता प्रमाण पत्र मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया गया था, जो मूल रिट याचिकाकर्ता के नाम पर जारी किया गया था, हालांकि ट्रस्ट के नाम पर जारी किया जाना आवश्यक था, एक वास्तविक त्रुटियां थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया और यहां तक कि मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में एक नया शोधन क्षमता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था, कलेक्टर ने मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा विलेख को रद्द करने में गलती की थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि ओ. एम. एम. सी. नियम, 2016 के तहत, अनुसूची (IV) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी जो पट्टा विलेख को रद्द कर सकते हैं, वे तहसीलदार हैं और इसलिए, ओ. एम. एम. सी. नियम, 2016 के तहत सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का पहली बार में कलेक्टर द्वारा सीधे प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा विलेख को रद्द करने वाले कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

2.9 दिनांक 24.03.2021 कलेक्टर, कटक द्वारा मूल याचिकाकर्ता, इसमें प्रतिवादी सं.-1 के पक्ष में पट्टा विलेख को रद्द करने वाले पारित आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द एवं दरकिनार करनेवाला विवादित निर्णय एवं आदेश मूल

प्रतिवादी सं.-5, तीसरा सबसे बड़ा बोलीदाता के आग्रह पर इस अपील को मुख्य विषय-वस्तु है।

4. श्री आर. बसंत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए और श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 1 की ओर से पेश हुए।

4.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसंत ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कलेक्टर, कटक द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.03.2021 को रद्द करने और दरकिनार करने में भौतिक रूप से गलती की है, प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में पट्टा को रद्द करते हुए।

4.2 श्री बसंत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन और अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि प्रारंभिक विषय शोधन प्रमाणपत्र जो कि गुरुकुल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर था, लेकिन प्रत्यर्थी नं-1 द्वारा निविदा में भाग लेने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमता में एक वास्तविक गलती थी और जानबूझकर किया गया कार्य नहीं था और इसलिए एक सुधार योग्य दोष था।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि संपत्ति गुरुकुल चैरिटेबल ट्रस्ट की थी और इसका स्वामित्व प्रत्यर्थी नं-1 पर नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, प्रत्यर्थी सं.1 निविदा में भाग लेने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमता में धोखाधड़ी की एक कवायद थी जिसने उनकी बोली को गैर-स्थायी एवं शुरुआत से ही अमान्य कर दिया।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है कि यह प्रतिवादी नं.1 की कार्य-प्रणाली थी कि न्यास की संपत्ति को अपनी संपत्ति के रूप में देने का प्रयास करना क्योंकि प्रत्यर्थी नं. 1 द्वारा स्व-समान विषय शोधन प्रमाणपत्र का दुरुपयोग किया गया था। एक अन्य निविदा में

और धोखाधड़ी का पता लगाते हुए, तहसीलदार और उप-कलेक्टर ने उन्हें उक्त निविदा से अयोग्य घोषित कर दिया था।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ओ. एम. एम. सी. नियम, 2016 के नियम 51 (7) को लागू करने में भौतिक रूप से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त उप-नियम केवल उस मामले में लागू होगा जहां पट्टा विलेख की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, जबकि तत्काल मामले में नीलामी/निविदा कॉल नोटिस और बोलियों को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन हुआ है।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि ओ. एम. एम. सी. नियम, 2016 के तहत सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार थे और इसलिए इस बात से अवगत होने के बावजूद कि तहसीलदार के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साजिश रचने के आरोप थे, पहली बार में कलेक्टर से संपर्क नहीं किया जा सकता था।

4.7 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत ने आगे प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं.-1 के बाद के आचरण को ध्यान में रखते हुए नये शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र भौतिक रूप से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी वह बोली के समय शोधन क्षमता प्रमाण पत्र था न कि बाद के शोधन क्षमता प्रमाण पत्र पर।

5. वर्तमान अपील का प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी ने जोरदार विरोध किया, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया है, शुरू में शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र दिनांकित 07.12.20217 प्रतिवादी सं.-1 के पक्ष में गलती से जारी हो गया था और गुरुकृपाचैरिटेबल ट्रस्ट के बजाय, इसे प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में न्यास के अध्यक्ष होने के नाते जारी किया गया।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद प्रत्यर्थी सं 1 ने स्वयं शोधन क्षमता प्रमाणपत्र के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन किया कि इसके बाद उत्तरदाता नं-1 ने अपने पक्ष में नया शोधन क्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिसे प्रतिस्थापित/दाखिल करने की अनुमति दी गई। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक शोधन क्षमता प्रमाण पत्र 1 बोली के साथ गैर-स्थायी और अमान्य था जैसा कि अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया जाना चाहा गया था।

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा पट्टा विलेख को रद्द करने की शक्ति तहसीलदार के पास निहित होगी जो ओ. एम. एम. सी. नियम, 2016 के नियम 51 (7) के तहत सक्षम प्राधिकारी है कि वर्तमान मामले में पट्टा विलेख कलेक्टर द्वारा रद्द कर दिया गया था और इसलिए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से देखा है और कहा है कि कलेक्टर, कटक द्वारा पट्टा रद्द करने का आदेश कानून के तहत प्राधिकरण के बिना था।

5.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी न केवल पट्टा अवधि समाप्त हो गई है, बल्कि बाद में भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय के अनुसार नए पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया है।

6. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है।

7. विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने कलेक्टर, कटक द्वारा दिनांक 24.03.2021 को पट्टे को रद्द करने के लिए पारित आदेश को रद्द कर दिया है जो प्रतिवादी नं.1 के पक्ष में या अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि-

(i) पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश कानून के तहत प्राधिकरण के बिना था क्योंकि नियम, 2016 के नियम 51 (7) के तहत तहसीलदार पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है;

(ii) प्रत्यर्थी सं.-1 द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत मूल शोधन क्षमता प्रमाण पत्र दिनांक 07.12.2017 को गलती से उनके पक्ष में जारी किया गया था।

7.1 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष है कि पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए कलेक्टर द्वारा दिनांक 24.03.2021 को आदेश कानून के तहत प्राधिकरण के बिना था क्योंकि नियम 2016 के नियम 51 (7) के तहत पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पट्टा विलेख की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में नियम 51 (7) लागू होगा। वर्तमान मामला पट्टा विलेख की किसी भी शर्त के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि बोली जमा करने के समय अमान्य शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का मामला है। इसलिए, नियम 51 (7) मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा।

7.2 यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वास्तव में कलेक्टर ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दिनांक 24.03.2021 का आदेश पारित किया, जिसमें कलेक्टर को अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन/(ओं) पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 24.03.2021 का आदेश कानून के तहत प्राधिकरण के बिना था।

8. अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का संबंध है कि मूल शोधन प्रमाणपत्र दिनांकित 07.12.2017 प्रत्यर्थी सं.-1 के पक्ष में है। एक गलती थी और किसी अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादे का संबंध नहीं है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस तथ्य के बावजूद कि गुरुकृपा चैरिटेबल ट्रस्ट संपत्ति का मालिक था और उक्त आधार पर शोधन प्रमाणपत्र का दावा किया गया था, प्रतिवादी नं.-1 ने अपने स्वयं के नाम पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया। उप-कलेक्टर, अथागढ़ ने दिनांक 06.12.2017 के माध्यम से तहसीलदार को गुरुकृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से प्रमाण पत्र जारी करने

का विशेष निर्देश दिया था। हालाँकि, इसके बावजूद तहसीलदार ने प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में दिनांकित 07.12.2017 शोधन क्षमता प्रमाणपत्र जारी किया, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, जिसे गलती से नहीं कहा जा सकता है। अगर उप-कलेक्टर, अथागढ़ द्वारा तहसीलदार को संबोधित दिनांक 06.12.2017 का संचार नहीं होता और तहसीलदार प्रत्यर्थी सं.1 चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से न्यास के अध्यक्ष थे, तब इस तरह की गलती को समझा जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में उप-कलेक्टर, अथागढ़ ने विशेष रूप से प्रतिवादी नं.1 इसमें अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और विशेष रूप से ट्रस्ट के नाम पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल शोधन क्षमता प्रमाणपत्र दिनांक 07.12.2017 प्रत्यर्थी सं. 1 के अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जारी किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नं-1 जानबूझकर और इच्छापूर्वक अपने नाम से शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त किया, हालांकि संपत्ति न्यास की थी और शोधन क्षमता प्रमाण पत्र न्यास के नाम से जारी किया जाना आवश्यक था। उन्होंने अवैध रूप से अपने लाभ के लिए 07.12.2017 दिनांकित शोधन योग्यता प्रमाण पत्र का दुरुपयोग/उपयोग किया और अपनी बोली के साथ उसी को प्रस्तुत किया और उक्त शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें पट्टा बोली मिली। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दिनांकित 07.12.2017 ऋण क्षमता शोधन योग्यता प्रमाणपत्र का उपयोग करके बोली शुरुआत से ही गैर-स्थायी और अमान्य था और इसलिए, इस तरह के शोधन प्रमाणपत्र के आधार पर उनके पक्ष में पट्टे को कलेक्टर द्वारा उचित रूप से रद्द कर दिया गया था।

8.1 इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बाद में प्रतिवादी नं-1 का 29.01.2021 का आवेदन पर ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देने वाला आवेदन इस आधार पर नहीं था कि प्रारंभिक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र दिनांकित 07.12.2017 जो उनके व्यक्तिगत नाम पर जारी किया गया था, गलती से हो गया था। इसका कारण यह दिया गया था कि दूसरा भागीदार पहले के शोधन क्षमता प्रमाण पत्र पर दावा कर सकता है और इसलिए हम

नए शोधन क्षमता प्रमाण पत्र को प्रतिस्थापित/विनिमय करने का इरादा रखते हैं जो अन्य संपत्तियों के खिलाफ प्राप्त किया गया था।

8.2 इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी नं.-1 ने एक अन्य निविदा में ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र का उपयोग किया और तहसीलदार और उप-कलेक्टर ने प्रतिवादी नं.-1 को उक्त निविदा से अयोग्य घोषित कर दिया।

8.3 ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यर्थी सं.-1 ने दिनांकित 07.12.2017 ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र का दुरुपयोग किया जो अवैध रूप से उनकी व्यक्तिगत क्षमता/नाम पर जारी किया गया था जबकि इसे गुरुकृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर जारी किया जाना आवश्यक था। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि बाद में दिनांकित 07.12.2017 शोधन क्षमता प्रमाणपत्र को तहसीलदार द्वारा 08.03.2021 दिनांकित आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया है, जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है।

8.4 अब जहाँ तक प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुतिकरण है, कि बादप्रत्यर्थी सं.-1 नए ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र को प्राप्त किया, जिसे प्रतिस्थापित/आदान-प्रदान करने की मांग की गई थी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह बोली के साथ प्रस्तुत ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र है न कि बाद के ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र।

9. अब जहाँ तक प्रत्यर्थी सं.-1 की ओर से प्रस्तुत करने की बात है कि इसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के अनुसरण में एक नया पट्टा विलेख जारी किया गया है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 18.05.2022 आदेश में यह देखा गया है कि नया पट्टा विलेख, विवादित निर्णय और आदेश के अनुसरण में वर्तमान एसएलपी/अपील और/या आगे के आदेशों के अंतिम परिणाम के अधीन होगा जो अदालत द्वारा कार्यवाही में पारित किए जा सकते हैं।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने कलेक्टर, कटक द्वारा पारित पट्टा विलेख को रद्द करने के लिए दिनांकित 24.03.2021 आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने में बहुत गंभीर त्रुटियां की हैं जो प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में थी। नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने का अधिकार है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है। कलेक्टर, कटक द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2021 पट्टा विलेख को रद्द करते हुए जो प्रत्यर्थी नं. 1 के पक्ष में था, एतद्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है। विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार किए जाने पर प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में नए पट्टा विलेख भी अलग रखे जाने के योग्य हैं और तदनुसार अलग रखा जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

(सहायक: अभिषेक अग्रिहोत्री और महेंद्र यादव, एलसीआरए)